



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222936
CG-DL-E-03112020-222936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942

No. 465]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

सं. यू-11/13/2/2019 चिकित्सा I.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने “अन्य लाभार्थी तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं योजना, 2010” को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (आ.भा./प्र.मं-ज.आ.यो) के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

अतः जीएसआर 654(ई), दिनांक 04 अगस्त, 2010 के माध्यम से भारत का राजपत्र (असाधारण), धारा 3, उप-धारा (i) का भाग II में अधिसूचित की गई “अन्य लाभार्थी तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं योजना, 2010” के पैराग्राफ 7 के साथ पठित पैराग्राफ 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उक्त “अन्य लाभार्थी तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं योजना, 2010” के अंतर्गत आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री – जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को अन्य लाभार्थियों के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अल्प उपयोगी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रयोक्ता शुल्क तथा अन्य विवरणों को निम्नलिखित शर्ताधीन अधिसूचित किया है, यथा :-

- अंतःरोगी विभाग देखभाल, आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना पैकेज दरों की मौजूदा दरों के अनुसार होगी;
- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए क.रा.बी.निगम अथवा क.रा.बी.योजना के अल्प उपयोगी अस्पताल होंगे, जहां पिछले दो वित्तीय वर्षों में विस्तर अधिभोग 60% से कम रहा है;
- आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के संबंध में अल्प उपयोगी अस्पतालों के नाम एवं उनकी परिचालन कार्य-रीतियाँ महानिदेशक, क.रा.बी.निगम द्वारा समय-समय पर अधिशासी निर्देशों के माध्यम से निर्दिष्ट किए जाएंगे।

2. इस अधिसूचना के संबंध में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव, प्राप्त होने पर क.रा.बी.निगम द्वारा विचार किया जाएगा। आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, को श्री एस. विश्वास, बीमा आयुक्त (योजना एवं विकास), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, कामरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002 (ई-मेल : med-comm@esic.nic.in) को भेजा जाए।

एस बिस्वास, बीमा आयुक्त (योजना एवं विकास)

[विज्ञापन-III/4/असा./324/2020-21]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

No U-11/13/2/2019 Medical I.—whereas the Employees' State Insurance Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with National Health Authority, Government of India for providing services under Ayushman Bharat/ Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna (AB/PM-JAY) by Employees' State Insurance Corporation for the purpose to implement “The Other Beneficiaries and Member of their Families Medical Facilities Scheme, 2010”.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of “The Other Beneficiaries and Members of their Families Medical Facilities Scheme, 2010” notified vide G.S.R 654(E), dated 04th August, 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary), part II Section 3, Sub-section (1) read with paragraph 7 thereof, the Director General, Employees' State Insurance Corporation, hereby notifies the rate of user charges and other details, as the Central Government has approved for availing the medical services in the underutilised Employees' State Insurance Corporation or Employees' State Insurance Scheme hospitals by Ayushman Bharat/Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna beneficiaries, as other beneficiaries, under the said “The Other Beneficiaries and Members of their Families Medical Facilities Scheme, 2010”, subject to the following conditions, namely:-

- i. Inpatient Department care shall be as per the extant rates of Ayushman Bharat/Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna packaged rates;
- ii. An underutilised hospital for the purpose of this notification shall be the Employees' State Insurance Corporation Hospital or Employees' State Insurance Scheme Hospital where the bed occupancy is less than 60% during the last two financial years;
- iii. Name of the underutilised hospitals and their operational modalities regarding Ayushman Bharat/ Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna shall be as specified by the Director General, Employees' State Insurance Corporation, from time to time, through executive instructions.

2. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of this notification within a period of thirty days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S Biswas, Insurance Commissioner (P & D), Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, Comrade Indrajit Gupta Marg, New Delhi-110002. (e-mail: med-comm@esic.nic.in).

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P & D)

[ADVT.-III/4/Exty./324/2020-21]